

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

निःशक्त छात्र/छात्रा को शिक्षा प्रोत्साहन राशि स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

1. छात्र/छात्रा का पूरा नाम..... लिंग.....
2. पिता/पालक/अभिभावक का पूरा नाम.....
3. निवास स्थान का पूरा पता.....
4. शैक्षणिक संस्थान का नाम.....
5. निःशक्तता का प्रकार.....
6. जन्मतिथि
7. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा द्वारा प्रवेश लिया गया है.....
8. पूर्व कक्षा जिसमें छात्र द्वारा 60 या इसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की गई है.....
9. पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय.....

विकलांगता
दर्शाता
छात्र/छात्रा
का फोटो

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण और सत्य है। शिक्षा प्रोत्साहन राशि हेतु निःशक्तता प्रमाण पत्र और अभिभावक का आय प्रमाण पत्र एवं कक्षामें उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

स्थान-
दिनांक-

छात्र/छात्रा का पूरा नाम.....
कक्षा.....
शैक्षणिक संस्था का नाम....

संस्था प्रमुख का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है श्री/कुमारी आत्मज श्री/श्रीमती द्वारा संस्था में दिनांक को कक्षा.....में नियमित रूप से प्रवेश लिया गया है। छात्र/छात्रा द्वारा संस्था में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में कक्षा.....में 60 प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। छात्र/छात्रा द्वारा इस संस्था में प्रवेश दिनांक.....सेतक नियमित रूप से कुल उपस्थिति/शैक्षणिक दिवसों की 60 प्रतिशत उपस्थिति रही है। छात्र/छात्रा को शिक्षा प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किए जाने की अनुसंधान की जाती है।

स्थान-
दिनांक-

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं
पद मुद्रा